बिहार सरकार
उद्योग विभाग

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण की सूचना

बिहार सरकार, उद्योग विभाग, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के द्वारा 26 जनवरी, 2025(गणतंत्र दिवस) के अवसर पर गाँधी मैदान, पटना में ट्रॉली युक्त ट्रक पर "बढ़ता निवेश, बढ़ता रोजगार" विषय वस्तु पर आधारित झाँकी निर्माण, कलाकारों द्वारा जीवंत प्रदर्शन करने हेतु प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से दिनांक **16.01.2025** को **12.00** बजे अपराह्न तक उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना के कार्यालय में अलग अलग सीलबंद लिफाफे मे डिजाइन, तकनीकी और वित्तीय निविदा प्राप्त की जायेगी, जिसे उसी दिन **3.00** बजे अप0 में सभी निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। इस कार्य हेतु प्राक्कलित राशि रू0 5,00,000.00 (पाँच लाख रू0) मात्र GST सहित है। निविदा की शर्तों की जानकारी के लिए उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्र, पटना के वेबसाइट www.umsas.org.in पर विजिट करें।

निविदा की शर्तें:–

1.	इकाई का GST/पैन कार्ड तथा अद्यतन आयकर (वित्तीय वर्ष 2023–24) का भुगतान प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2.	सरकारी आयोजन करने का दो वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा)
3.	प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज न हो। शपथ पत्र देना होगा।
4.	झाँकी निर्माण हेतु चौदह चक्के वाले ट्रक पर किया जाना है। जिसकी साईज 40 फीट लम्बा 12 फीट चौड़ा एवं 15 फीट ऊंचा होगा।
5.	**"बढ़ता निवेश, बढ़ता रोजगार"** शीर्षक विषय वस्तु पर निर्मित की जाने वाली झाँकी **(Tableau)** का ट्रक के चारो तरफ का 3D डिजाइन लम्बाई, चौराई और उचाई का अनुपात अंकित करते हुए संलग्न करना होगा। झाँकी में संशोधन करने का अधिकार उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को होगा। चयन समिति द्वारा जिसके डिजाइन की स्वीकृति मिलेगी उसी का तकनीकी निविदा खोला जायेगा।
6.	जीवंत कलाकारों में 16 सदस्य रहेंगे। झाँकी मंच के लिए अन्य कलाकारों की व्यवस्था सफल निविदादाता को करना होगा। आवश्यकतानुसार सजावट पूर्ण रूप से मधुबनी पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, मंजूषा कला तथा फूल–माला से किया जाना है।
7.	झाँकी निर्माण, सजावट और जीवंत प्रदर्शन के साथ अंत में कुल दर (GST सहित) अंकित करना होगा।
8.	किसी भी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगा कार्य के उपरांत भुगतान होगा।
9.	कार्य ससमय शुरू नहीं करने पर एवं संतोषप्रद सम्पादित नहीं होने की स्थिति में किसी अन्य ईकाई से कार्य सम्पादित करा लिया जायेगा तथा सफल निविदादाता के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
10.	सफल निविदादाता को सभी कार्य दिनांक 24.01.2025 को 04.00 बजे अपराहन तक कार्य पूरा कर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित कर देना होगा। अन्यथा निविदा का 20% राशि कटौती कर ली जाएगी। दिनांक 25.01.2025 को 01.00 बजे अपराहन तक कार्य पूरा नहीं होने पर निविदा का 50% राशि कटौती कर ली जाएगी। वास्तविक भुगतान निविदा सूचना के कार्य विवरणी में दिये कार्य सतोषजनक एवं उत्कृष्ट होने पर ही किया जायेगा। निविदा समिति के प्रतिवेदन के उपरांत बिल का भुगतान होगा।
11.	झाँकी निर्माण में कार्य जब तक पूर्ण नहीं हो जाता तब तक झाँकी निर्माण से जुड़े कर्मी कोई अन्य किसी का कार्य नहीं करेंगे।
12.	झाँकी निर्माण के क्रम में सफल निविदादाता के कम से कम दो प्रतिनिधि निर्माण स्थल पर रहकर ससमय निर्माण कार्य पूर्ण करायेंगे।
13.	झांकी निर्माण कार्य में लगने वाली सभी सामग्री सफल निविदादाता को स्वयं अपने खर्चे पर उपलब्ध कराना

	होगा। संस्थान द्वारा कोई भी सामग्री नहीं दी जाएगी।
14.	प्राकृतिक आपदा की स्थिति या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में संवेदक को उसका पुनर्निमाण करना होगा।
15.	किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान की चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
16.	विस्तृत/विशेष जानकारी के लिए उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्र, पटना के कार्यालय अथवा दूरभाष सं0–9525336910 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0

निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।

ज्ञापांक.........32...................../ पटना, दिनांक....09/01/025...

प्रतिलिपि– 1. उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना (सूचना पट पर चिपकाने हेतु)।

2. आई0टी0 मैनेजर, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/01/25

निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।